

दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-03/2016-17

आवेदक - श्री कृपाल चौरसिया
विपक्षी - अंचल अधिकारी, सोनाहातु

आदेश

17-08-2017

प्रस्तुत वाद में आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि दाखिल-खारिज वाद संख्या-53R27/16-17 को अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा पंजी-II में (जमाबन्दी) विक्रेता का नाम नहीं होने के कारण एवं शिकायत वाद संख्या-839/2016 का हवाला देते हुए अस्वीकृत किया गया है।

अपील आवेदन को पंजीकृत किया गया एवं अंचल अधिकारी, सोनाहातु से अभिलेख की मांग की गई। आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने समर्थन में निम्न उल्लेख किए हैं।

1. यह है कि खाता संख्या-168, 169, 375, ग्राम-सोनाहातु, खाता संख्या-113, ग्राम-बुरुहातु एवं खाता संख्या-20, ग्राम-बिरगमडीह सर्वे में विश्वनाथ भगत के नाम से दर्ज है। विश्वनाथ भगत के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पार्वती देवी एवं दो भतीजे रामटहल भगत एवं दिनेश्वर भगत जीवन काल के लिए बराबर हिस्से के दखलकार हुए।

2. यह है कि पार्वती देवी ने न्यायिक अदालत, राँची से प्रोबेट प्राप्त की और कहा कि पार्वती देवी अबतक दखलकार है। पार्वती देवी के मृत्यु के पश्चात बिषेश्वर भगत एवं रामटहल भगत संयुक्त रूप से दखल में आए एवं दाखिल-खारिज भी संयुक्त रूप से हुआ।

3. यह है कि वर्ष 1949 ई० में विषेश्वर अपने पीछे दो लडके बुचा भगत एवं छुट्टू भगत को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। विषेश्वर भगत के दोनों लडके उपरोक्त खाता में संयुक्त रूप से दखलकार हुए। बिहार राज्य में दोनों लडकों से लगान मुक्त कर दिया गया। प्रश्नगत जमीन को ज्योति देवी वर्मा पति स्व० हरगोविन्द वर्मा ने खतियानी रैयत से खरीदी।

4. यह है कि श्रीमती ज्योति देवी वर्मा के द्वारा पावर ऑफ एटरनी के माध्यम से श्री संतोष कुमार जयसवाल को बुक नं०-IV भाग सं०-2662, पेज सं०-51 से 55, पट्टा सं०-2352, दिनांक-30/11/2015 ई० को पावर होल्डर बनाया गया।

5. पावर होल्डर श्री संतोष कुमार जयसवाल द्वारा श्री कृपाल चौरसिया पिता-स्व० रामदेनी प्रसाद चौरसिया को दिनांक-02/01/2016 को खाता सं०-169, प्लॉट सं०-1471 सब प्लॉट-1471/पार्ट, कुल रकवा- 7 ए० 36 डी० मध्ये रकवा- 02 ए० को

8

17-08-2017

जमीन को विक्रय पट्टा से बिकी किया गया। आवेदिका का क्रय के पश्चात शांति पूर्ण उक्त भूमि पर दखल हुए, तत्पश्चात अंचल अधिकारी, सोनाहातु को दाखिल-खारिज करने हेतु आवेदन दिया गया परंतु अंचल अधिकारी, सोनाहातु आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि आवेदिका द्वारा वास्तविक विक्रेता से उक्त भूमि क्रय की गयी थी।

6. यह है कि प्रश्नगत जमीन में मो० सरस्वती देवी दखलकार हुए। इनके मृत्यु के पश्चात गोपाल चन्द्र भगत पूर्ण दखलकार हुए। गोपाल चन्द्र भगत के मृत्यु के पश्चात एक पुत्र कन्दर्व नाथ भगत एवं एक पुत्री ज्योति देवी हुई। कन्दर्व नाथ भगत जो नावल्द मृत हो गया तत्पश्चात ज्योति देवी वमा जमीन पर दखलकार हुए एवं संतोष कुमार जयसवाल को भूमि बिक्री करने का पावर दिया गया। अपीलकर्ता के द्वारा अंचल अधिकारी सोनाहातु में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया, परन्तु दाखिल खारिज आवेदन को बिना किसी कारण के अस्वीकृत किया गया। उन्होंने दाखिल खारिज वाद सं०-53 आर 27/2016-17 में अंचल अधिकारी सोनाहातु के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए दाखिल खारिज वाद को स्वीकृति आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस, मूल अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजी-11 में केवल कन्दर्व नाथ भगत के नाम से दर्ज है। विक्रेता का नाम पंजी-11 में दर्ज नहीं है, न ही विक्रेता का स्वत्व प्राप्त है। अतः अपील वाद को खारिज किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू(राँची)

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू(राँची)